

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।
आरोपी सहित अधि० श्री आर पी एस गुर्जर उपस्थित।
प्रकरण आज अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।
आज दिनांक को फरियादी पुरुषोत्तम दुबे उपस्थित
फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री के०के० शुक्ला द्वारा की गई।
इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि
वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं आज
दिनांक को फरियादी पुरुषोत्तम उप० है फरियादी पुरुषोत्तम द्वारा व्यक्त
किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना
चाहता है। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से
कराना चाहते हैं अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु श्री मान
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में भेजा जाता है। इस
संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे।
उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षित
मीडिएटर श्री मान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, के न्यायालय में
उपस्थित रहे।
प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात पेश
हो।

जे०एम०एफ०सी०

पुनश्च—

राज्य द्वारा एडीपीओ उप०
आरोपी सहित अधि० श्री आर पी एस गुर्जर उप०।
प्रकरण में मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त। मीडिएशन रिपोर्ट
अभिलेख के साथ संलग्न की गई।
इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा द०प्र०स०की धारा 320
(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे
अभिलेख पर लिया गया। फरियादी पुरुषोत्तम की पहचान अधि० श्री
के०के० शुक्ला द्वारा की गई है।
राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का
अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी दिलीप
सिंह के विरुद्ध भादस की धारा 294, 341, 323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत
आरोप विरचित किया गया है। आरोपी पर आरोपित अपराध
न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी पुरुषोत्तम
ने आरोपी से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर
लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति
के अनुरूप है। अतः वादविचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा
आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की
अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी दिलीप
सिंह को भादस की धारा 294, 341, 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप
से दोषमुक्त किया गया।
आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं
मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण मे जप्तशुदा बांस का डंडा मूल्यहीन होने से तोड़ तोड़ कर नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / -
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जेएमएफसी, गोहद

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु प्रतिलिपि)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)